रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2331] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 13, 2014/कार्तिक 22, 1936
No. 2331] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 13, 2014/KARTIKA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2014

(आय-कर)

का.आ. 2906(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खंड (xxi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक सावधि जमा स्कीम, 2006 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम बैंक सावधि जमा (संशोधन) स्कीम, 2014 है।

(2) ये उसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

2. बैंक सावधि जमा स्कीम, 2006 के पैरा 3 के खंड (1) में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

[अधिसूचना सं. 63/2014/फा.सं. 142/09/2014-टीपीएल]

रमन चोपड़ा, निदेशक (टीपीएल-II)

टिप्पण – मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ.1220(अ), तारीख 28 जुलाई, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका पश्चातवर्ती संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. सं. 2127(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2007 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2014

(INCOME-TAX)

S.O. 2906 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (xxi) of sub-section (2) of Section 80C of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments to the the Bank Term Deposit Scheme, 2006, namely:-

1. (1) This scheme may be called the Bank Term Deposit (Amendment) Scheme, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Bank Term Deposit Scheme, 2006, in para 3, in clause (1), for the words "one lakh rupees", the words "one hundred and fifty thousand rupees" shall be substituted.

[Notification No. 63/2014/ F.No.142/09/2014-TPL]

RAMAN CHOPRA, Director (TPL-II)

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1220(E), dated the 28th July, 2006 and subsequently amended by notification number S.O. 2127(E), dated 13th December 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.